(135)

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन क्रमांक : /2013 (निगरानी R-3915-III/13)

हरिशंकर सोनी पुत्र श्री धन्नालाल सोनी, स्थान एवं पोस्ट-- ग्राम रन्नौद, तहसील भितरवार, जिला शिवपुरी (म.प्र.) ---आवेदक

बनाम

1. राधेश्याम सोनी पुत्र श्री गौरीशंकर सोनी, स्थान एवं पोस्ट-- ग्राम रन्नौद, तहसील भितरवार, जिला शिवपुरी (म.प्र.) हाल निवासी–सौनार गली, बाजार, शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. उपखण्ड अधिकारी, तहसील कौलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.) ----अनावेदकगण

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षण याचिका

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, आवेदक ग्राम रन्नौद, तहसील कौलारस, जिला शिवपुरी का स्थाई निवासी है एवं वहीं रहकर वर्तमान में कृषि कार्य संचालित करता है।
2. यह कि, उक्त याचिका ग्राम रन्नौद में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर–1503 (पूर्व सर्वे नंबर–959) पटवारी हल्का नंबर–54, के संबंध में पैदा हुये विवाद के निराकरण हेतु प्रस्तुत की जा रही है।
3. यह कि, उक्त भूमि 1976–77 के पूर्व भगवती प्रसाद पुत्र श्री जानकी लाल (आवेदक के दादा) एवं धन्नालाल दत्तक पुत्र मंगल प्रसाद सोनी (आवेदक के पिता) बतौर भूमि स्वामी के नाम से दर्ज थी। जिसकी प्रति अनेक्चर पी/2 है, जो आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह कि, उक्त भूमि 1976–77 में 1/2 भाग पर राधेश्याम पुत्र श्री गौरशंकर एवं 1/2 भाग पर धन्नालाल गौरीशंकर आदि बतौर भूमि स्वामी दर्ज किए गए, जिसकी प्रति अनेवचर पी/3 आवेदन के साथ संलग्न है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./3914/तीन/2013 जिला- शिवपुरी

हरिशंकर सोनी विरूध राधेश्याम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 67/2010-11/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 22/04/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	